न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवीन्द्र कुमार मेघवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 38/2024

सुलताना बनाम पहलवान खां वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा.दी.

// आदेश // **दिनांक :– 05/02/2026**

उक्त प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 2 से 6 की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1– वादीगण ने उक्त वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। वादीगण ने वाद पत्र की कलम संख्या 6 मे वर्णित अनुसार जन्म से अधिकार होकर के आधार पर यह वाद प्रस्तुत किया है। प्रकरण के पक्षकार मुस्लिम जाति के होकर मुस्लिम विधि से शाशित है और मुस्लिम विधि में पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति का कोई उल्लेख नहीं है। जो मूल पुरूष खातेदार उसके जीवनकाल तक वह पूर्ण स्वामी रहता है उनकी मृत्यू के बाद विरासत खुलती है। प्रकरण में मूल पुरूष प्रतिवादी संख्या 5 सनवर खां जीवित है और उनके जीवनकाल में ही यह वाद पत्र वादीगण ने प्रस्तुत कर दिया जो कतई पोषणिय नहीं है विधि द्वारा वर्जीत है।

2– यह कि मुस्लिम विधि में पुश्तैनी जायदाद होने का कोई तथ्य नहीं है तथा मूल पुरूष खातेदार सनवर खां के जीवनकाल तक किसी का कोई हिस्सा व हित नहीं है। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार के सामान्य सिद्धान्त है कि सम्पदा मे उत्तराधिकार ठीक उसी क्षण विहित हो जाता है जबकि मृतक व्यक्ति की मृत्यु होती है प्रकरण में तो वादग्रस्त आराजी के खातेदार प्रतिवादी नं. 5 सनवर खां जीवित है तथा प्रतिवादी संख्या 5 वादग्रस्त आराजी पर काबिज है।

3– यह कि मुस्लिम विधि में स्वअर्जित और पुश्तैनी सम्पत्ति में कोई भेद नहीं है। पक्षकार जाति से मुस्लिम है और मुस्लिम विधि से शासित है तथा मुस्लिम विधि में जन्म से हित निहित होने का कोई प्रावधान नहीं है । मुस्लिम विधि में पिता के जीवनकाल मे उसके पुत्र व पुत्रीयां सम्पत्ति में कोई हित अथवा अधिकार नहीं रखते है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जीत होकर प्रिमेच्योर वाद होने से खारीज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि प्रकरण में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद खारीज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

वकील वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रकार पेश किया :–

1– उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित तथ्य में वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें उसका हक हिस्सा बनता है या नहीं बनता है वह प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र व उसके बाद तनकीयात कायम कर साक्ष्य के पश्चात ही तय हो सकता है ना कि प्राथमिक स्टेज पर यह तय किया जा सकता है कि वादीया का हक हिस्सा बनता है या नहीं बनता है। ऐसा कही पर अंकन नहीं है की मुस्लिम महिला को वाद लाने का अधिकार नही है कि वह घोषणा का वाद लाने के लिए अधिकृत नहीं है। तथा वादीया का प्रस्तुत वाद किस विधि द्वारा वर्जित है प्रार्थना पत्र में अंकित नही है।

2– उक्त प्रकरण मे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो में वर्णित तथ्य जो प्रतिवादीगण अंकित किये है वह अपने जवाब दावे में अकित कर सकता है तथा उस पर विवाधक विररित कर उसका निस्तारण किया जा सकता है क्योकि जो तथ्य प्रतिवादी ने उठाये है वे विधि व साक्ष्य का मिश्रित कथन है जो ऐसे प्रार्थना पत्र पर निस्तारित नही हो सकते है।

3– उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र की चरण संख्या तीन में वर्णित तथ्य जो प्रतिवादीगण अंकित किये है वह अपने जवाब दावे में अंकित कर सकता है तथा उस पर विवाधक विरचित कर उसका निस्तारण किया जा

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

सकता है क्योकि जो तथ्य प्रतिवादी ने उठाये है वे विधि व साक्ष्य का मिश्रित कथन है जो ऐसे प्रार्थना पत्र पर निस्तारित नहीं हो सकते है। तथा किस प्रकार से प्रिमेच्योर है वह भी प्रार्थना पत्र में कही अंकित नहीं है। तथा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत उक्त प्रार्थना पत्र पोषणिय नही होने से खारीज होने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत मिथ्या आधारो पर प्रस्तुत होने से खारीज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के पक्षकार मुस्लिम जाति के होकर मुस्लिम विधि से शाशित है और मुस्लिम विधि में पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति का कोई उल्लेख नहीं है। जो मूल पुरूष खातेदार उसके जीवनकाल तक वह पूर्ण स्वामी रहता है उनकी मृत्यू के बाद विरासत खुलती है। मुस्लिम विधि में पुश्तैनी जायदाद होने का कोई तथ्य नहीं है तथा मूल पुरूष खातेदार सनवर खां के जीवनकाल तक किसी का कोई हिस्सा व हित नहीं है। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार के सामान्य सिद्धान्त है कि सम्पदा मे उत्तराधिकार ठीक उसी क्षण विहित हो जाता है जबकि मृतक व्यक्ति की मृत्यु होती है प्रकरण में तो वादग्रस्त आराजी के खातेदार प्रतिवादी नं. 5 सनवर खां जीवित है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 11 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाता है। और वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

रवीन्द्र कुमार मेघवाल(IAS)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी